दांडिक प्रकरण (सभी राजीनामा योग्य अपराध के मामले तथा

1. 138 निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट (चैक बाउंस से संबंधित)
2. राजस्व प्रकरण

(5) मध्यस्थता का लाभ कैसे प्राप्त करें :–

मध्यस्थता हेतु आवेदन जिस न्यायालय में मामला लंबित हो, वहां प्रस्तुत करें।

(6) मध्यस्थता एक विधिक प्रक्रिया है

मध्यस्थता धारा 89 सिविल प्रक्रिया संहिता तथा छ.ग.राजपत्र असाधारण दिनांक 13 अगस्त 2007 में प्रकाशित मध्यस्थता नियम के अंतर्गत

"इस संबंध में अधिक जानकारी हेतु"
सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
रायगढ़
से संपर्क किया जा सकता है।
फोन नं. 07762-220189,
फैक्स 07762-220189
सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
07762-220189 (कार्या.)

विधिक सहायता योजना

(1) विधिक सहायता एवं सलाह हेतु पात्रता :–

1. वह व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति का सदस्य है।
2. वह व्यक्ति, जो मानव दुर्व्यवहारों या बेगार का सताया हुआ।
3. स्त्री या बालक।
4. मानसिक रूप से अस्वस्थ या अन्यथा असमर्थ है।
5. वह व्यक्ति, जो अनापेक्षित अभाव जैसे बहु–विनाश जातिय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़ सूखा, औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ है या
6. कोई औद्योगिक कर्मचारी है या
7. अभिरक्षा में है, जिसके अंतर्गत व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 के अंर्तगत किसी संरक्षण गृह में या किशोर मनः चिकित्सकीय अस्पताल या मनः चिकित्सकीय परिचर्या गृह में अभिरक्षा में रखा गया व्यक्ति भी है या
8. यदि मामला उच्चतम न्यायालय से भिन्न किसी अन्य न्यायालय के समक्ष है तो भारत का कोई नागरिक जिसकी समस्त स्त्रोतों से आय 1,00,000 रूपये (एक लाख रूपये) से अधिक न हो, विधिक सेवा का हकदार होगा।

संपर्क सूत्र :–

निः शुल्क विधिक सहायता हेतु जिला न्यायालय रायगढ़ तथा सभी तहसील/न्यायालयों/तालुकाओं में स्थित प्रबंध कार्यालयों से संपर्क किया जा सकता है, जहां पूर्वकालिक प्रतिधारक अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गयी।

इसके अतिरिक्त पैरालीगल वालेंटियर्स से भी संपर्क किया जा सकता है।

विधिक सहायता के लिए संपर्क करें :–

1. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ — 07762–220189
2. तालुक विधिक सेवा समिति धरमजयढ़ — 07766–266752
3. तालुक विधिक सेवा समिति घरघोड़ा — 07767–284843

छत्तीसगढ़ संवाद/2013

जिला विधिक साक्षरता अभियान

न्याय सब के लिए
ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

मध्यस्थता के संबंध में जानकारी

सौजन्य

अनिल कुमार शुक्ला
अध्यक्ष

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
रायगढ़ (छ.ग.)

मध्यस्थता से विवाद निपटाये,– खर्च, समय, कटुता मिटाये

(1) मध्यस्थता क्या है?

मध्यस्थता विवादों को निपटाने की न्यायिक प्रक्रिया से भिन्न एक वैकल्पिक प्रक्रिया है, जिसमें एक तीसरे स्वतंत्र व्यक्ति मध्यस्थ (मीडियेटर) दो पक्षों के बीच अपने सहयोग से उनके सामान्य हितों के लिए एक समझौते पर सहमत होने के लिए उन्हें तैयार करता है। इस प्रक्रिया में लचीलापन है और कानूनी प्रक्रियागत जटिलताएं नहीं है। इस प्रक्रिया में आपसी मतभेद समाप्त हो जाते है अथवा कम हो जाते है।

(2) मध्यस्थता क्यो?

न्यायालय में विवादों को सुलझाने की एक निर्धारित प्रक्रिया है, जिसमें एक बार प्रक्रिया शुरू हो जाने के पश्चात् पक्षों का नियंत्रण समाप्त हो जाता है और न्यायालय का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। न्यायालय द्वारा एक पक्ष के हित में निर्णय सुनिश्चित है, किन्तु दूसरे पक्ष के विपरीत होना भी उतना ही सुनिश्चित है। दोनो पक्षों के हित में निर्णय, जिससे दोनो पक्ष संतुष्ट हो सकें, ऐसा निर्णय न्यायालय नहीं दे सकता। न्यायालय द्वारा तथ्यों, विधिक स्थिति तथा न्यायिक प्रक्रिया को ध्यान में रखकर निर्णय दिया जाता है। जब कि मध्यस्तथा दो पक्षों को खुलकर बातचीत करने के लिए प्रेरित और उत्साहित करता है। वह पक्षों के बीच संवाद स्थापित करने में सहयोग प्रदान करता है। वह दोनो पक्षों को अपनी बात कहने का समान अवसर देकर, पक्षों में सामंजस्य स्थापित करता है। मध्यस्थता में विवादों को निपटाने का सारा (मीडियेटर) उनकी सहायता करता है। पूरी प्रक्रिया पर पक्षों का नियंत्रण बना रहता है। निर्णय लेने का अधिकार भी पक्षों का ही रहता है। कहीं भी विवशता एवं दबाव नहीं रहता, पूरी प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष होती है।

(3) मध्यस्थता से होने वाले लाभ :–

1. मध्यस्थता एक ऐसा मार्ग प्रस्तुत करती है, जिसमें पक्षों को समझौता कराने के लिए सहमत किया जाता है तथा पक्षों के मध्य उत्पन्न मतभेदों को दूर करने के लिए अवसर प्राप्त होता है।
2. रिश्तों में आई दरार से हुए नुकसान की पूर्ति करने का अवसर प्राप्त होता है।
3. एक ऐसा उपाय है, जिसमें पक्ष स्वयं अपना निर्णय ले सकते हैं।
4. हिंसा, घृणा, धमकियों से हटकर एक सभ्य उपाय है, जिससे विवादों का निराकरण निकाला जा सकता है।
5. विवादग्रस्त पक्षों में आपसी बातचीत और मधुर संबंध बनाने का अवसर प्राप्त होता है।
5. यह प्रक्रिया मुकदमें का विचारण नहीं करती और न ही गुणदोष पर निर्णय देती है।
6. यह प्रक्रिया किसी भी न्यायिक प्रक्रिया की अपेक्षा सस्ती है।
7. इसमें सफलता की संभावनायें अधिक है तथा यह किसी भी स्थिति में पक्षों के लिए लाभकारी है।
8. इस प्रक्रिया में पक्षों में एक–दूसरे की बातें सुननें, भावनाओं को समझने का सही अर्थो में अवसर प्राप्त होता है।
9. इस प्रक्रिया में पक्षों में किसी प्रकार का भय नहीं होता, पक्ष अपने को सुरक्षित महसूस करते है क्योंकि प्रक्रिया गोपनीयतापूर्ण है, पाते हैं, उन्हें किसी का भय नहीं होता।
10. इस प्रक्रिया में पक्ष स्वयं अपना निर्णय लेते हैं, अतः उनकी आशाओं के विपरीत किसी भी अप्रत्याशित निर्णय प्राप्त होने की संभावना नहीं रहती, जैसा कि न्यायालय की प्रक्रिया में अक्सर होता है।
11. मध्यस्थता से समझौता कुछ घंटों या दिनों में ही प्राप्त हो जाता है। अनेक महीनों या वर्षो तक यह प्रक्रिया नहीं चलती अर्थात समय की बचत होती है।
12. जहां न्यायालय के आदेश के अनुपालन कराने में भी अनेक कठिनाईयां उत्पन्न होती है, वहां मध्यस्थता से प्राप्त समझौता स्वयं पक्षों का स्वेच्छा से प्राप्त निर्णय होता है, अतः उसके कियान्वयन में कोई कठिनाई नहीं होती है।
13. न्यायिक प्रक्रिया में वाद समय में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, जब कि मध्यस्थता में विवादों को किसी भी स्तर पर निपटाया जा सकती है, इसमें विलंब कभी नहीं होता ।
14. इस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त समझौते से मन को शान्ति मिलती है ।

(4) मध्यस्थता से कौन से विवाद का समझौता संभव है :–

सिविल केस (व्यवहार वाद)

1– निषेधाज्ञा के प्रकरण ।
2– विशिष्ट अनुतोष ।
3– पारिवारिक वाद
4– मोटर दुर्घटना
5– मकान मालिक एवं किरायेदार
6– सिविल रिकवरी
7– व्यावसायिक झगड़े
8– उपभोक्ता वाद
9– वित्तीय एवं लेन–देन के विवाद